<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 451/12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 11/10/12</u> फाईलिंग नं. 233504000062012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

बसंत उर्फ विक्की पिता लल्लू गोंड, उम्र 22 वर्ष, निवासी आरा मशीन के सामने, गोविंद कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 22.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08. 10.2012 को समय लगभग 10:00 बजे आरा मशीन के पास गोविंद कॉलोनी आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे का चाकू जिसकी लंबाई 10 इंच चौड़ाई एक इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.10. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरा मशीन के सामने गोविंद कॉलोनी आमला में एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ में चाकू लिये घूम रहा है। जिसे उसने हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने शस्त्र रखने बाबत कोई लायसेंस या कागजात होना नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 311/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर

विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूटा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.10.2012 को समय लगभग 10:00 बजे आरा मशीन के पास गोविंद कॉलोनी आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे का चाकू जिसकी लंबाई 10 इंच चौड़ाई एक इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 80.10. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ आरा मशीन के पास गोविंद कॉलोनी आमला पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे का चाकू लिए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गण तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का चाकू जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 311/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही छुरा होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 मुकेश (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—3) पर उसके हस्ताक्षर होने स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

- 7 साक्षी जाकिर खान (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 08.10.12 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर वह हमराह आरा मशीन गोविंद कॉलोनी गया था। जहां उन्होंने घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा और चाकू जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था।
- 8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मुकेश (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं आर.के. दुबे (अ. सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त करना तथा उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि साक्षी विजय और मुकेश की उपस्थिति में जप्ती प्रपत्र तैयार नहीं किया गया था और न ही अभियुक्त से लोहे का चाकू जप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये है जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त कर उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो तथा उसकी नापजोप की गयी हो। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक पूर्व से लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ़तारी की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गये होंगे। इस प्रकार अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.10.2012 को समय लगभग 10:00 बजे आरा मशीन के पास गोविंद कॉलोनी आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे का चाकू जिसकी लंबाई 10 इंच चौड़ाई एक इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त बसंत उर्फ विक्की को धारा

25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)